झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: ***संकल्प*** ::

कृपया पढ़े :–

1. आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक–06 / गो0, दिनांक 15.01.2016
2. समाहरणालय, गढ़वा का आदेश ज्ञापांक–07 / गो0, दिनांक 05.01.2016

श्री श्रीराम तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–477 / 03, गृह जिला– भोजपुर) के उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पद पर कार्यावधि में आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक–06 / गो0, दिनांक 15.01.2016 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा जिला परिभ्रमण के क्रम में समिति के प्रति समुचित सौजन्यता प्रकट नहीं किये जाने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

समाहरणालय, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक–07 / गो0, दिनांक 05.01.2016 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के दिनांक 09.01.2016 से 10.01.2016 तक गढ़वा जिला के भ्रमण कार्यक्रम का सम्पूर्ण वरीय प्रभार उप विकास आयुक्त, गढ़वा को सौंपा गया था। साथ ही, उप विकास आयुक्त, गढ़वा को निदेश दिया गया था कि झारखण्ड विधान सभा की लेखा समिति के माननीय सभापति सहित माननीय सदस्य के गढ़वा जिला आगमन एवं समिति द्वारा निर्धारित बैठक तथा स्थल निरीक्षण के समय समिति के निदेशानुसार संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रतिवेदन सहित उपस्थित रहने हेतु सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें माननीय सभापति महोदय एवं सदस्यों के निदेशानुसार स्थल भ्रमण की व्यवस्था करने एवं आवश्यक सूचना / प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया था।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक–06 / गो0, दिनांक 15.01.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा परिसदन में आवासन के दौरान परिसदन में घोर अव्यवस्था व्याप्त थी, यथा दिनांक 09.01.2016 की रात्रि में परिसदन के किसी भी नल में पानी नहीं आना, कम्बल की समुचित व्यवस्था नहीं होना, किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का परिसदन में उपस्थित नहीं होना। साथ ही, समिति के सदस्यों द्वारा उप विकास आयुक्त, गढ़वा को अनेक बार फोन लगाने के बावजूद उनके द्वारा फोन रिसिव नहीं किया गया।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया है कि श्री श्रीराम तिवारी, उप विकास आयुक्त, गढ़वा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा परिसदन में आवासन के दौरान व्याप्त अव्यवस्था के लिए दोषी हैं। इनके द्वारा कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है। इसलिए इन्हें "**निन्दन**" की सजा दी जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री श्रीराम तिवारी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

29.1.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5 / आरोप–1–6 / 2016 का०– 856 / राँची, दिनांक 02/02 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29.1.16

सरकार के उप सचिव।